तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/1/18	[illegible] पूर्ववत दिनांक 27/2/18 को पेश हो।	
27/2/18	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप. पत्रावली वास्ते जवाब [illegible] पत्रावली 3/5/18 को पेश हो। [illegible] 18 को पेश करो	
14/6/18	पत्रावली लोक अदालत केम्प बडोद में पेश हुई। पैरोकार सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ जो शा0 मि0 किया गया। पैरोकार सरकार को सुना गया। पैरोकार सरकार ने कथन किये कि वादी का ग्राम बडोद स्थित ख0नं0 1033 व 1045 वन विभाग के खातें दर्ज है, वादी का कोई स्वत्व नहीं है। वादी का भूमि से मात्र अतिक्रमी का सम्बन्ध है। वाद चलने योग्य नहीं है तथा वाद खारिज किये जानें का निवेदन किया। मजमें आम में पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर विचार किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचार किया। वादी ने विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करनें हेतु वाद प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त आराजी वर्तमान में वन विभाग के नाम दर्ज है, जो प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में होनें से वादी को किसी प्रकार का रिलीफ दिया जाना संभव नहीं है। वैसे भी ग्राम बडोद स्थित ख0नं0 1033 व 1045 की भूमि पर वादी के कोई स्वत्व प्रमाणित नहीं है। लिहाजा वाद वादी खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मजमें आम में सर इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 16:45:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत कैम्प बडोद

उनवान

छीतरलाल उर्फ सीताराम पुत्र भंवरलाल जाति मीणा निवासी रतनपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादी

बनाम

1. जिला वन अधिकारी कोटा
2. क्षेत्रीय वन निरीक्षक सुल्तानपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89–188 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर–113/11

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादी खारिज किया जाता है।" तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 14.06.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 15:45:45 IST
Reason: SelfAttested

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner